



142

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक 1137/एक/2016 जिला जबलपुर दिनांक-9287-16

1. गनेश प्रसाद पुत्र श्री कमलसिंह गौड
2. भूरीबाई उर्फ सुमन्तरी गौड पुत्री
श्री कमलसिंह गौड
3. शान्ताबाई उर्फ शान्तिबाई पुत्री कमल सिंह गौड, निवासी ग्राम केवलारी (उमरिया), तहसील व जिला जबलपुर म0प्र0
— अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1. मौहम्मद बाजिद पुत्र श्री जमालुद्दीन, निवासी 229 असफाक उल्ला वार्ड, जिला जबलपुर म0प्र0
2. मध्य प्रदेश शासन

— प्रत्यर्थीगण

डि.के. पाटी का
दिनांक आज दि 14-12-16 को

बलक ऑफ द
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता एवं
धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन।

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण की ओर से यह आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2013 के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी, जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2016 से स्वीकार की गयी। (आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)।
2. यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपील में भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति इस शर्त पर दी गयी है कि भूमि के विक्रय पत्र पंजीयन इस आदेश के दिनांक से तीन माह की समयावधि में निष्पादित करना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 03.05.2016 से 03.08.2016 को समाप्त हो गयी है, जिसके संबंधी अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व


1/14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9287/एक/2016

जिला-जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19.12.16	<p>अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री डी.के. पासी एवं दुष्यन्त कुमार सिंह को आवेदन पत्र धारा 32 म.प्र. भू-राजस्व संहिता एवं सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर सुना गया।</p> <p>2- अपीलार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया कि अपीलार्थी का स्वास्थ्य खराब होने से विक्रय पत्र का निष्पादन आदेश दिनांक से 3 माह की अवधि में नहीं कराया जा सका है। इस संबंध में बीमारी का प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके आधार पर आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी विक्रय पत्र का निष्पादन आगामी तीन माह में आवश्यक रूप से करे। यह अवधि पूर्व आदेश दिनांक 08.09.2016 एवं समाप्ति दिनांक 10.12.2016 से आगामी तीन माह तक प्रभावशील होगी एवं अपील प्रकरण क्रमांक 1137/एक/2016 मूल आदेश का अंग माना जावे। इसी निर्देश के साथ यह आवेदन पत्र निराकृत किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> (एम.के.सिंह) सदस्य राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर</p>	